पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेलः reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक :–No./Acad./2023/- 1853 दिनांक :17.06.2023

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17.06.2023 का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17.06.2023 को विश्वविद्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11:30 बजे आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहेः

1.	प्रो. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ. रवीन्द्र कटेवा	(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
3.	श्री यशपाल	संकायाध्यक्ष कला	सदस्य
4.	डॉ. अशोक कुमार मीणा	संकायाध्यक्ष वाणिज्य	सदस्य
5.	डॉ. पुष्पा चौधरी	संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान	सदस्य
6.	डॉ. राकेश कुमार	संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य
7.	श्री रामानन्द शर्मा	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भौतिक विज्ञान	सदस्य
8.	डॉ. राजवीर सिंह	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड रसायन विज्ञान	सदस्य
9.	श्री जगदीश प्रसाद	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड गणित	सदस्य
10.	डॉ. मनोज कुमार	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भूगोल	सदस्य
11.	डॉ. महेन्द्र चौधरी	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड इतिहास	सदस्य
12.	डॉ. मंजू लाडला	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड राजनीति विज्ञान	सदस्य
13.	डॉ. भागीरथ मल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड लोक प्रशासन	सदस्य
14.	डॉ. महेश गिठाला	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड समाज शास्त्र	सदस्य
15.	डॉ. राजेन्द्र सिंह	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड हिन्दी	सदस्य
16.	डॉ. मधु गढ़वाल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड शिक्षा	सदस्य
17.	डॉ. भंवर लाल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड ईएएफएम	सदस्य
18.	डॉ. प्रेम परिहार	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड व्यावसायिक प्रशासन	सदस्य
19.	श्री अर्जुन लाल गुर्जर	कार्यवाहक कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गयेः

Item Agenda (मद) 1 :– विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 30.09.2022 के कार्यवृत का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णयः विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 30.09.2022 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि इस प्रेक्षण (Observation) के साथ की गई कि एजेण्डा निर्णय संख्या 1 में "विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 03.01.2022 के कार्यवृत" की लिपिकीय त्रुटि को "विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 11.05.2022 के कार्यवृत" इस सुधार के साथ पढ़ा जावे। शेष कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 2 :— विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 30.09.2022 के अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन। (कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

निर्णयः अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 3 :— राजभवन द्वारा विश्वविद्यालय में सत्र 2023–24 हेतु मॉडल अकादमिक कलेण्डर के अनुमोदन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

निर्णयः राजभवन द्वारा विश्वविद्यालय में सत्र 2023–24 हेतु मॉडल अकादमिक कलेण्डर का कार्य सूची की परिशिष्ट – III के अनुसार अंगीकृत कर अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 4 :— New Education Policy, 2020 को क्रियान्वित करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः New Education Policy, 2020 को क्रियान्वित किये जाने का निर्णय किया गया, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2023–24 से स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में New Education Policy, 2020 को लागू किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 5 :— नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली शुरू करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शैक्षणिक सत्र 2023–24 से स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली से पाठ्यक्रम बनवाने एवं परीक्षा करवाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :— नवीन शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम तैयार करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग का पत्रांक प.18 (10) शिक्षा–4/2020 दिनांक 08.06.2023 (संलग्न पत्र) के अनुसार नवीन शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023–24 से स्नातक प्रथम वर्ष कला, विज्ञान व वाणिज्य का पाठ्यक्रम सेमेस्टर पद्धति, ग्रेडिंग सिस्टम, CBCS Entry, Exit etc. सभी नीतियों को पूर्णता से लागू करने के संबंध में माननीय कुलपति को अधिकृत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 7 :— विश्वविद्यालय परीक्षा, 2023 एवं आगामी वर्षों की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन नीति पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः :— विश्वविद्यालय परीक्षा, 2023 एवं आगामी वर्षों की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन नीति में एक परीक्षार्थी के पुनर्मूल्यांकन पश्चात 20 प्रतिशत अंकों का अंतर (बढ़ोतरी/कमी) होने पर उत्तरपुस्तिका तृतीय परीक्षक से जांच करवाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :– UGC (Minimum Standards and Procedures for the award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022 को स्वीकार करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)

निर्णयः UGC (Minimum Standards and Procedures for the award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022 को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि पी.एचडी. कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार के आधार पर पी.एचडी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु भी साक्षात्कार के लिये अंको का निर्धारण करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 9 :– अनिच्छुक/अस्वस्थ रिसर्च गाईड के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः अनिच्छुक/अस्वस्थ रिसर्च गाईड को शोध में रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात असहमति जताने पर 5 वर्ष के लिए वंचित (Debar) किये जाने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 10 :– विधि महाविद्यालयों के डॉ. भींवराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जयपुर के अंतर्गत जाने के कारण विधि संकाय के शोध विद्यार्थियों, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से पीएच.डी. हेतु कोर्स वर्क पूर्ण कर लिया है, के शोध पर्यवेक्षक (Research Supervisor) तय करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विधि संकाय के शोध विद्यार्थियों के कोर्स वर्क पूर्ण करने के पश्चात उनके कोर्स वर्क के आधार पर मिल रही जेआरएफ को निरन्तर रखने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को कोर्स वर्क पूर्ण हो गया एवं पंजीकरण लंबित है, का पत्र लिखे जाने का निर्णय किया गया एवं ऐसे विद्यार्थियों के शोध पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय में नियमित भर्ती होने के पश्चात अलॉट किये जाये।

Item Agenda (मद) 11 :– कुलपति समन्वय समिति में निर्दिष्ट आदेशों की पालना में विश्वविद्यालय में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास से जुड़े नवीन पांठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास से जुड़े निम्न नवीन पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत करने का निर्णय किया गया तथा इनके पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति को तैयार करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय किया गयाः–

1. B.Lib.
2. M.Lib
3. B.P.Ed.
4. M.P.Ed.
5. Music
6. Drawing and Painting
7. Sclupture

Item Agenda (मद) 12 :– कुलपति समन्वय समिति में निर्दिष्ट आदेशों की पालना में E-Library System के तहत ऐप बनाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय में E-Library System के तहत ऐप बनाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 13 :– विश्वविद्यालय में स्किल आधारित B.Voc. वोकेशनल कोर्सेज शुरू करने के संबंध में विचार एवं निर्णयः–

- **B.Voc. in organic Farming and Organic Products**
- **B.Voc. in Ecotourism and Conservation of Cultural Heritage**
- **B.Voc. in Nutrition and Health Care**
- **B.Voc. in Dairy Technology**

निर्णयः विश्वविद्यालय में स्किल आधारित B.Voc. वोकेशनल कोर्सेज सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किये जाने का निर्णय किया गया। पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर विचार करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 14 :– विश्वविद्यालय में B.Sc. in Data Science, AI & ML and Cyber Security कोर्सेज शुरू करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय में B.Sc. in Data Science, AI & ML and Cyber Security कोर्सेज शुरू करने का निर्णय किया गया। पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर विचार करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय किया गया।

पूरक एजेण्डा (Supplementary Agenda)

Supplementary Agenda (मद) 1 :– अध्ययन बोर्ड द्वारा निर्मित विशेष बी.एड. पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुमोदन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)

निर्णयः विशेष बी.एड. पाठ्यक्रम (Syllabus) का कार्य सूची की परिशिष्ट – V के अनुसार अनुमोदन किया गया।

Supplementary Agenda (मद) 2 :– अध्ययन बोर्ड द्वारा निर्मित बी.पी.एड. पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुमोदन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VI)

निर्णयः बी.पी.एड. पाठ्यक्रम (Syllabus) का कार्य सूची की परिशिष्ट – VI के अनुसार अनुमोदन किया गया।

Supplementary Agenda (मद) 3 :– शैक्षणिक सत्र 2023–24 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शैक्षणिक सत्र 2023–24 में स्नातक प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तथा स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 के अनुरूप ही रखे जाने का निर्णय किया गया। स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध का पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 के अनुरूप ही रखे जाने का निर्णय किया गया।

Supplementary Agenda (मद) 4 :– शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु प्रवेश नीति के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु आयुक्तालय, महाविद्यालय शिक्षा द्वारा जारी प्रवेश नीति को अंगीकृत किये जाने का निर्णय किया गया।

Supplementary Agenda (मद) 5 :– शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु विश्वविद्यालय के विभागों में नियमित प्रवेश की प्रक्रिया एवं शुल्क इत्यादि के निर्धारण के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु विश्वविद्यालय के विभागों में नियमित प्रवेश की प्रक्रिया के लिए आयुक्तालय, महाविद्यालय शिक्षा द्वारा जारी प्रवेश नीति को अपनाये जाने का निर्णय किया गया एवं शुल्क निर्धारण हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

<u>टेबल एजेण्डा</u>

Table Agenda (मद) 1 :– बी.एड. महाविद्यालयों को सत्र 2023–24 के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः बी.एड. महाविद्यालयों को सत्र 2023–24 के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 2 :– राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश प.10 (4) शिक्षा–4/2008 पार्ट दिनांक 15.05.2023 के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में ITEP पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्यसूची की परिशिष्ट–VII)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट–VII के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में ITEP पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) दिये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 3 :– विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में खेलों में जाने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा के दौरान आयोजित होने वाले खेलों में भाग लेने के कारण परीक्षा से वंचित हुए परीक्षार्थियों की परीक्षा के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में खेलों में जाने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा के दौरान आयोजित होने वाले खेलों में भाग लेने के कारण परीक्षा से वंचित हुए परीक्षार्थियों की परीक्षा पुनः नहीं आयोजित किये जाने का निर्णय किया गया एवं ऐसे छात्र/छात्राओं से पुनः परीक्षा शुल्क नहीं लिये जाने का भी निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 4 :– राजभवन के आदेशांक एफ.43(3)आरबी/2023/1971 दिनांक 10.04.2023 की पालना में विश्वविद्यालय में "पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ" स्थापित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्यसूची की परिशिष्ट–VIII)

निर्णयः "पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ" की स्थापना किये जाने का निर्णय किया गया तथा यू.जी.सी. को शोध पीठ के chair हेतु पद मांगने का निर्णय किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु

राजकीय महाविद्यालयों के विद्या परिषद् सदस्यों के द्वारा निम्न प्रस्ताव किया गया जिन पर विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गयाः–

1. **विश्वविद्यालय के स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा लेने वाले आंतरिक परीक्षकों के मानदेय के संबंध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ ।**

निर्णयः विश्वविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों की प्रायोगिक परीक्षा जिन महाविद्यालयों में आयोजित होती है, उन महाविद्यालयों के आंतरिक परीक्षक का मानदेय बाह्य परीक्षक के मानदेय के समान दिये जाने का निर्णय किया गया एवं आंतरिक परीक्षकों का बिल भी सॉफ्टवेयर में बाह्य परीक्षकों की तरह निर्मित (generate) किये जाने का निर्णय किया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

कुलसचिव